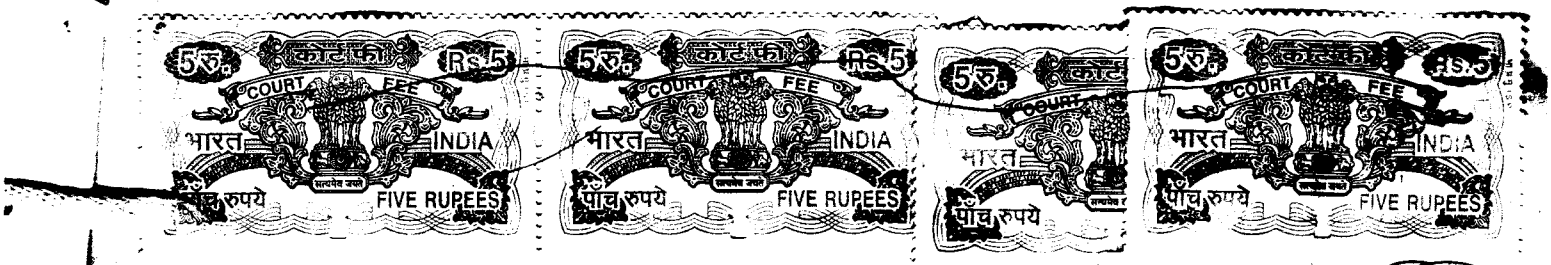

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 5रु. Rs.5 पांच रुपये FIVE RUPEES

(130)

न्यायालय–श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक– /2017 पूर्नरीक्षण R 1235-PB2-17

जगमोहन दत्तक पुत्र रणछोड़लालजी उम्र–32 वर्ष, जाति–अहीर निवासी–ग्राम असावता तहसील बड़नगर जिला उज्जैन म.प्र.

—आवेदक / अपीलांट

विरूद्ध

01–रामप्रसाद पिता जगन्नाथजी उम्र–54 वर्ष
02–वासुदेव पिता जगन्नाथजी उम्र–51 वर्ष
03–कैलाश पिता जगन्नाथजी उम्र–48 वर्ष
समस्त जाति–अहीर,निवासीगण–ग्राम असावता तहसील बड़नगर जिला उज्जैन म.प्र.

—अनावेदकगण / रेस्पोडेन्टगण

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.।

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बड़नगर के प्रकरण कमांक–30/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक–22/03/2017 से असंतुष्ठ व क्षुब्ध होकर पुर्नरीक्षण धारा 50 भू.रा.सं. के अन्तर्गत सादर प्रस्तुत है।

प्रथम अर्जी पेश प्रस्तुत। 19-4-17

मान्यवर महोदय,

आवेदक अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

01– यह कि, ग्राम असावता में कंचनबाई विधवा रणछोड़लालजी जाति–अहीर के नाम से भूमि सर्वे नं. 115, 119, 120, 125, व सर्वे नं. 178 तथा सर्वे नं. 464 कुल किता–06 कुल रकबा 12.11 हे. का स्थित है। उक्त भूमि कंचनबाई के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर लगभग 70–80 वर्षो से काबिज व आधिपत्य होकर राजस्व रिकार्ड में मालिक नाते दर्ज है। कंचन बाई का विवाह बाल्यवास्था में रणछोड़लालजी के साथ हुआ था तथा बाल्यावस्था में ही रणछोड़लालजी का स्वर्गवास होने से कंचनबाई विधवा हो गई थी। कंचनबाई ने अपना वंश चलता रहे व कृषि कार्य में सहयोग मिलता रहे है इसलिए अपने भतीजे कैलाश के पुत्र जगमोहन को बचपन में **गौद ले लिया था तथा भविष्य में जगमोहन को गौद लेने का विवाद न हो**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1235–पीबीआर/17 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि व्यवहार न्याायलय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	